फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

सुमन बनाम उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल व अन्य

रण संख्या : 171 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
1.08.2024	दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 419./2023 व–उनवानी सुमन बनाम हरिराम व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। नोटिस विपक्षीगण रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	1078 21-8-24
19/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के पीठासीन अधिकारी श्री अभिमन्यु सिंह कुंतल R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थी द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (INFRUCTUOUS) हो गया। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner